राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.–3), छत्तीसगढ़ की दिनांक 08/08/2025 को संपन्न 674वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

----00----

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.–3), छत्तीसगढ़ की दिनांक 08/08/2025 को श्री जयसिंह म्हस्के, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति–3
2. श्री रमाशंकर मिश्रा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति–3
3. डॉ. अजय विक्रम अहिरवार, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति–3
4. श्री समीर स्वरूप, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति–3
5. श्री देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति–3

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: 673वीं बैठक दिनांक 07/08/2025 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.–3), छत्तीसगढ़ की 673वीं बैठक दिनांक 07/08/2025 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: परिवेश 1.0 पोर्टल से परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. **मेसर्स खुड़सा सेण्ड माईन (प्रो.– श्री उमाशंकर शर्मा), ग्राम–खुड़सा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1732)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 220219/2021, दिनांक 15/07/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–खुड़सा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 01 एवं 02, कुल

क्षेत्रफल – 4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन सूखा नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 80,000 धनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 383वीं बैठक दिनांक 31/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अखिलेश कुमार शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत परसदाकला का दिनांक 13/01/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित –** कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना –** माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 2534/खनि02/सा.रेत/उ.यो.अनु./न.क.08/2021 नवा रायपुर, दिनांक 13/05/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 413/खनि/न.क./2021 गरियाबंद, दिनांक 31/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 411/खनि/न.क./2021 गरियाबंद, दिनांक 31/03/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **एल.ओ.आई. का विवरण –** एल.ओ.आई. श्री उमा शंकर शर्मा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 346/गौण खनिज/नीलामी/न.क./2021 गरियाबंद, दिनांक 17/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट –** वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–खुड़सा 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–खुड़सा 3 कि.मी. एवं अस्पताल फिंगेश्वर 09 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 05 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट/पुल स्थित नहीं है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि. मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 499 मीटर, न्यूनतम 415 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 397 मीटर, न्यूनतम 384 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 103 मीटर, न्यूनतम 102 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 106 मीटर, न्यूनतम 76 मीटर है।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 80,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 4 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.29 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 29/05/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
38.57	2%	0.77	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village- Khudsa**	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Running water	0.30

			facility for toilet	
			Total	**0.80**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 18/04/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई कि:–

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल, जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./अभिमत/1419 गरियाबंद, दिनांक 23/03/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 250 मीटर से अधिक दूरी पर है। लीज सीमा से अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 346/गौण खनिज/नीलामी/न.क./2021 गरियाबंद, दिनांक 17/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी, जिसकी वैधता समाप्त हो गई है। अतः एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज सीमा से अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत की जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

(स) समिति की 674वीं बैठक दिनांक 08/08/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. श्री उमा शंकर शर्मा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 346/गौण खनिज/नीलामी/न.क./2021 गरियाबंद, दिनांक 17/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 31/2023 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 29/08/2024 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "पारित आदेश दिनांक से 01 वर्ष की अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया जाता है।" का उल्लेख है।

2. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उपनिदेशक उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद, जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रं./मा.चि./जी/1692 गरियाबंद, दिनांक 23/04/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व से 55.2 कि.मी. की दूरी पर है एवं 10 कि.मी. की परिधि में कोई नेशनल पार्क, अभ्यारण्य तथा घोषित जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।

3. नदी तट एवं पहुंच मार्ग पर वृक्षारोपण (आम, जामुन, कटहल आदि) हेतु 800 नग पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
नदी तट एवं पहुंच मार्ग पर (800 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	56,000	5,600	5,600	5,600	5,600
	फेंसिंग हेतु राशि	1,28,800	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	8,000	800	800	800	800
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
कुल राशि = 3,68,400		**2,22,800**	**36,400**	**36,400**	**36,400**	**36,400**

4. पर्यावरण प्रबंधन योजना नदी तट खसरा क्रमांक 07, रकबा 1.17 हेक्टेयर में से 1 हेक्टेयर पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण कर लेने के उपरांत कार्यपूर्ण प्रतिवेदन जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक कंप्लायंस रिपोर्ट में समाहित कर पर्यावरण कार्यालय में जमा किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. परियोजना के फ्यूजीडीविट डस्ट उत्सर्जन से प्रभावित क्षेत्रों में नियमित रूप से जल के छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से खदान क्षेत्र के आस–पास प्रस्तावित क्षेत्र नदी तट, पहुंच मार्ग में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा एवं रोपित पौधों को सर्वाइवल रेट 90 प्रतिशत से उपर सुनिश्चित रूप से रखा जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. मैं वचन देता हूं कि परियोजना में छत्तीसगढ़ पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना में संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधीसूचना का. आ.804(अ) दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई भी उल्लंघन नहीं है और कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है।

11. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा इस बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा इस बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उत्खनन के दौरान सस्टेनेबल सेण्ड माइनिंग गाईडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माइनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि अनुमोदित उत्खनन योजना अनुसार कुल लीज क्षेत्र के 60 प्रतिशत क्षेत्र पर ही उत्खनन कार्य किया जाएगा।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि पर्यावरण स्वीकृति में दिए गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं छःमाही पालन प्रतिवेदन पर्यावरण कार्यालय में जमा कराया जाएगा।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से वर्षा ऋतु के दौरान उत्खनन कार्य नहीं किया जाएगा।

17. आवेदित स्थल से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र से 1 किलो मीटर से अधिक दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाने जन समस्याओं के निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जायेंगे–

- खदान क्षेत्र के आस–पास नदी तट एवं पहुंच मार्ग के किनारे सघन वृक्षारोपण किया जायेगा, जिससे प्रभाव नगण्य होगा।
- धुल (डस्ट) के निराकरण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जायेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
- खनिज का परिवहन तारपोलिन से ढंककर किया जावेगा, जिससे रास्ते में वाहन से खनिज रेत न गिरे।,
- वाहनों का परिवहन स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जायेगा जिससे परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।

- परिवहन स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में कैंप लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा।
- ग्राम में स्थित तालाब के किनारे परियोजना लागत का 2 प्रतिशत राशि सी.ई. आर. के तहत् तालाब के चारों ओर फलदार पेड़ों, जैसे– आम, ईमली, जामुल, कटहल आदि पौधों का रोपण एवं सुरक्षा हेतु फेंसिंग तथा 05 वर्ष तक सम्पूर्ण देखभाल किया जायेगा।
- सड़कों का उचित रखरखाव एवं धुल आदि से सुरक्षा हेतु नियमित जल छिड़काव किया जायेगा।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि रेत उत्खनन एवं भराई का कार्य मैनुअल विधि से किया जाएगा एवं भारी वाहनों को नदी में नहीं उतारा जाएगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि रेत पुनः भरण अध्ययन के संबंध में उत्खनन के पश्चात् वर्षाकाल के पूर्व प्री–मानसून एवं वर्षाकाल के बाद खनन के पूर्व पोस्ट मानसून आर.एल. सर्वे रिपोर्ट जमा कराया जाएगा।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण छत्तीसगढ़ द्वारा निहित किये गए शर्तों के अनुसार पालन किया जायेगा एवं पालन न किये जाने पर वैधानिक, दण्डात्मक कार्यवाही मुझे मान्य होगी।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के उल्लंघन करने पर जो भी कार्यवाही की जाएगी, मुझे मान्य होगी एवं भविष्य में नियमों का पालन किया जाएगा।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि मिनरल कन्सेशन नियम (MCR) के तहत् बाउंड्री पिलर द्वारा सीमांकन किया जायेगा।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खनिज नियमों के तहत् सीमांकन कराकर सीमा क्षेत्र में नियमानुसार स्तंभ स्थापित किया जायेगा।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपनिदेशक उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व से अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत की गई, परंतु निकटतम वन क्षेत्र का वास्तविक दूरी के साथ कम्पार्टमेंट नम्बर, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव एवं अभयारण्य और वन विभाग द्वारा घोषित जैव–विविधता क्षेत्र की वास्तविक दूरी प्रस्तुत नहीं की गई।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र का वास्तविक दूरी निकटतम कम्पार्टमेंट नम्बर से आकशीय दूरी एवं वनमण्डलाधिकारी की स्पष्ट अनापत्ति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. लीज एरिया से समीपस्थ वनक्षेत्र की मान्य दूरी का निर्धारण एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। अतः एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पत्र लेख किया जाए।

3. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

4. माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील क्रमांक 8055 ऑफ 2022 आदेश दिनांक 22/08/2022 के पैरा 33 के अनुसार "In view of the existing legal regime that mandates preparation of replenishment report in a scientific manner and such a report forming an integral part of the District Survey Report, we hold that a District Survey Report without a proper replenishment study is equally untenable." का उल्लेख है। उक्त आदेश के तारतम्य में रेत खदानों के प्रकरणों के संबंध में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ से मार्गदर्शन लिया जाना आवश्यक है। अतः उक्त के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने बाबत् राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ को पत्र लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पत्र लेख किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स बालेंगा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मोहन सिंह कश्यप), ग्राम–बालेंगा, तहसील व जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2601)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 438124/2023, दिनांक 26/07/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बालेंगा, तहसील व जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 1142, 1139, 1141, 1140, 1128/1, 1138/1, 1138/2 एवं 1129, कुल क्षेत्रफल–1.96 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–50,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 489वीं बैठक दिनांक 26/09/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मोहन सिंह कश्यप, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बालेंगा का दिनांक 29/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ स्किम ऑफ माईनिंग फॉर फस्ट फाईव ईयर एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 485/खनिज/उत्ख.यो./2021–22 दंतेवाड़ा, दिनांक 31/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जगदलपुर, जिला–बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 345/खनिज/ख.लि. 3/16/2020–21/उ.प. जगदलपुर, दिनांक 22/05/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 2.832 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जगदलपुर, जिला–बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1014/खनिज/ख.लि.4/16/2020–21/उ.प./2022 जगदलपुर, दिनांक 23/05/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, मंदिर, पुल, नदी, अस्पताल, स्कूल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. श्री मोहन सिंह कश्यप के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1369/खनिज/ख.लि.4/16/2020–21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 14/06/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 3439/खनि 02/उ.प.–अनु.निष्पा./न.क्र. 50/2017(3) नवा रायपुर, दिनांक 22/06/2022 द्वारा एल.ओ.आई. में वैधता वृद्धि बाबत् पत्र जारी किया गया है, जिसकी अवधि 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 12/06/2023) हेतु वैध है। तदोपरांत एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 34/2023 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 09/06/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) परन्तु के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला बस्तर को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** होना बताया गया है।

7. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में लीज डीड जारी किया गया है। समिति का मत है कि पूर्व में आवेदित क्षेत्र में कब से कब तक खदान संचालित थी? इस संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 1142 श्री रूपसिंग व स्व. श्रीमती सुकी, खसरा क्रमांक 1138/2 श्री भक्तु व पदमा, खसरा क्रमांक 1129 श्री लैखन, खसरा क्रमांक 1139 तथा 1141 श्री श्रीनाथ, खसरा क्रमांक 1140 श्री लखेश्वर एवं खसरा क्रमांक 1128/1 व 1138/1 श्री बंधु, पार्वती, गिता, भूमिका एवं लेखिका के नाम पर है। उत्खनन हेतु भू–स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर के ज्ञापन क्रं./क.त.अ./1860 जगदलपुर, दिनांक 12/04/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 1 कि.मी. दूर है।

11. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बालेंगा 500 मीटर, स्कूल बस्तर 8.5 कि.मी. एवं अस्पताल बस्तर 8 कि.मी की दूरी पर स्थित हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 680 मीटर दूर है। मारकण्डी नदी 1.25 कि.मी. दूर स्थित है।

12. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि. मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

13. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 6,67,683 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,70,153 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,013.2 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जायेगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 14.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 8,160 घनमीटर है, जिसमें से 3,478 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा तथा शेष 4,682 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक 1211) में संरक्षित कर भण्डारित किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 16.8 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जायेगा। लीज क्षेत्र में क्रशर प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जायेगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	7,500
द्वितीय	12,500
तृतीय	17,500
चतुर्थ	25,000
पंचम	50,000

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,161 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 88,236 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,80,300 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 1,28,700 रूपये तथा रख–रखाव के लिए राशि 1,56,000 रूपये, इस प्रकार

प्रथम वर्ष में कुल राशि 5,53,236 रूपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 9,42,744 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत के.एम.एल. फाईल से देखने पर लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुछ भाग में उत्खनन कार्य किया गया है। समिति का मत है कि उक्त उत्खनित क्षेत्र का समावेश कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र के पुनःभराव किये जाने बाबत् रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफटी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
53	2%	1.06	Following activities at, **Village- Balenga**	
			Pavitra Van Nirman	12.60
			Total	**12.60**

19. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, जामुन, अमलतास, कदम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 500 नग पौधों के लिए राशि 38,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 42,000 रूपये, खाद के लिए राशि 3,750 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,56,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,39,750 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में

कुल राशि 9,21,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बालेंगा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1108, क्षेत्रफल 2.21 हेक्टेयर में से 0.2 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. पूर्व में आवेदित क्षेत्र में कब से कब तक खदान संचालित थी? इस संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के उत्खनित क्षेत्र को माईनिंग प्लान में समावेश कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनित क्षेत्र के पुनःभराव हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।
4. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

12. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
13. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 / 2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/12/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/03/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ई–मेल दिनांक 08/03/2025 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मोहन सिंह कश्यप, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जगदलपुर, जिला–बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 81/खनिज/ख.लि.1/04/2022–23/उ.प. जगदलपुर, दिनांक 18/01/2024 अनुसार पूर्व में आवेदित क्षेत्र के खसरा क्रमांक 1142, रकबा 0.66 हेक्टेयर में श्रीमती संहिता नेताम के नाम पर उत्खननपट्टा दिनांक 21/05/2001 से 20/05/2011 जारी किया गया था।
2. 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के उत्खनित क्षेत्र को माईनिंग प्लान में समावेश कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पूर्व से उत्खनित है, जिसका उल्लेख क्वारी प्लान विथ स्किम ऑफ माईनिंग फॉर फस्ट फाईव ईयर एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, दिनांक 31/08/2021 द्वारा अनुमोदित किया गया है।
3. 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के पुनःभराव हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार खोदे गए हिस्से में भरी जाने वाली धूल की मात्रा 4,128.62 घनमीटर है, सुरक्षा अवरोध क्षेत्र को बनाए रखने के लिए अपशिष्ट ओवर बर्डन की आवश्यकता होगी और वृक्षारोपण कार्य के लिए अवरोध क्षेत्र में फैलाने के लिए 860.13 घनमीटर मिट्टी की आवश्यकता होगी, जिसके ऊपर उत्खनित क्षेत्र में लगभग 175 पौधे लगाए जाएंगे। मिट्टी का उपयोग केवल 7.5 मीटर सुरक्षा अवरोध में केवल ऊपरी परत में 1.00 मीटर मोटाई तक वृक्षारोपण के लिए किया जाएगा, न कि पूरे भरने के काम के लिए। लीज क्षेत्र के बाहर मौजूद पुराने गड्ढों के लिए अवरोध में भरने की ढलान को नियमानुसार बनाए रखा जाएगा और मिट्टी के कटाव और ढलान की स्थिरता बनाए रखने के लिए सीडिंग के साथ कॉयर मैटिंग की जाएगी, जिनका कुल लागत लगभग 3,10,000 रूपये होगा।

7.5 मीटर की सीमा पट्टी के पुनःभराव हेतु रेस्टोरेशन प्लान के उपरांत (पीपल, नीम, आम, बरगद आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 175 नग पौधों के लिए राशि 10,500 रूपये, खाद के लिए राशि 5,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 20,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 14,500 रूपये हेतु व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
53	2%	1.06	Following activities at, **Village- Balenga**	
			Pavitra Van Nirman	13.742
			Total	**13.742**

5. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (पीपल, नीम, आम, बरगद आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 640 नग पौधों के लिए राशि 64,240 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 60,600 रूपये, खाद के लिए राशि 6,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रूपये, तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,20,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,70,840 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 10,03,456 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बालेंगा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1135, क्षेत्रफल 1.22 हेक्टेयर में से 0.40 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

6. समिति द्वारा नोट किया गया कि लीज क्षेत्र के बाहर भी उत्खनन कार्य किया गया है, परंतु परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर की सीमा पट्टी एवं बाहर का क्षेत्र पूर्व से उत्खनित है। समिति का मत है कि 7.5 मीटर की सीमा पट्टी एवं बाहर का क्षेत्र में उत्खनन कार्य किनके द्वारा किया गया है एवं उत्खनित क्षेत्र के लिए नियमानुसार कार्यवाही की गई है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से स्पष्टीकरण मांगते हुये पत्र लेख किया जाना आवश्यक है।

7. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

13. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं हैं।

15. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा इस बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

16. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 / 2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा इस बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. प्रस्तुत के.एम.एल. अनुसार 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के बाहर उत्खनन किया जाना पाया गया है। अतः इस संबंध में क्या परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के बाहर उत्खनन किया गया है एवं अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से स्पष्टीकरण मांगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक को उक्त के संबंध में सूचित किया जाए।
2. लीज क्षेत्र का ड्रोन विडियो (Drone video) प्रस्तुत किया जाए।
3. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी जल एवं वायु स्थापना/संचालन सम्मति की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

6. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 / 2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

9. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी प्राप्त होने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

(स) समिति की 674वीं बैठक दिनांक 08/08/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1331/खनिज/ख.लि.1/16/2020–21/उ.प. जगदलपुर, दिनांक 19/06/2025 के प्रतिवेदन अनुसार "उक्त प्रस्तावित क्षेत्र का दिनांक 18/06/2025 को निरीक्षण किया गया जिसमें आवेदित क्षेत्र में कृषि भूमि मौजूद है एवं उत्तर–पश्चिम भाग में पूर्व में उत्खनित गढ्ढा स्थित है जो कि कार्यालयीन अभिलेख अनुसार खसरा क्रमांक 1142 रकबा कुल रकबा 0.86 हेक्टेयर में से 0.66 हेक्टेयर निजी भूमि क्षेत्र पर दिनांक 21/05/2001 से 20/05/2011 तक 10 वर्ष हेतु श्रीमती संहिता नेताम जगदलपुर के पक्ष में उत्खनिपट्टा स्वीकृत था जिसकी अवधि वर्तमान में समाप्त हो चुकी है तथा ग्रामवासियों ने बताया कि खदान बंद होने के पश्चात ग्रामीणों द्वारा निजी निर्माण कार्यों हेतु उक्त क्षेत्र से बोल्डर निकालकर उपयोग किया गया है। उक्त खसरा क्रमांक 1142 आवेदक की निजी भूमि है जिसे अन्य खसरो के समाहित कर आवेदक द्वारा नवीन खदान स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।" का उल्लेख है।

2. लीज क्षेत्र का ड्रोन विडियो (Drone video) प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदित खदान को नवीन एल.ओ.आई. जारी की गई है। अतः छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी जल एवं वायु स्थापना/संचालन सम्मति की प्रति की आवश्यकता नहीं है।

4. एस.ई.ए.सी.–3, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 428, दिनांक 20/05/2025 को माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौडे सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया गया है। जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।

5. एस.ई.ए.सी.–3, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 428, दिनांक 20/05/2025 प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौडी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया गया है। जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।

6. एस.ई.ए.सी.–3, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 430, दिनांक 20/05/2025 प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौडी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया गया है। जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।

7. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नही है।

9. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 / 2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल

के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

12. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जगदलपुर, जिला-बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 345/खनिज/ख.लि.3/16/2020-21/उ.प. जगदलपुर, दिनांक 22/05/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 2.832 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-बालेंगा) का क्षेत्रफल 1.96 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1331/खनिज/ख.लि.1/16/2020-21/उ.प. जगदलपुर, दिनांक 19/06/2025 को जानकारी प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आगामी 06 माह में कार्यवाही पूर्ण कर एस.ई.ए.सी.-3, छत्तीसगढ़ को अवगत कराने तथा इस शर्त को संचालन सम्मति में जोड़े जाने की शर्त पर पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है। इस संबंध में संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।
3. मेसर्स बालेंगा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री मोहन सिंह कश्यप) को ग्राम-बालेंगा, तहसील व जिला-बस्तर के खसरा क्रमांक 1142, 1139, 1141, 1140, 1128/1, 1138/1, 1138/2 एवं 1129 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.96 हेक्टेयर, क्षमता - 50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट-01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स घोटियावाही आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री यशवंत सिन्हा), ग्राम-घोटियावाही, तहसील-नरहरपुर, जिला-कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2430)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 429597 / 2023, दिनांक 17 / 05 / 2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–घोटियावाही, तहसील–नरहरपुर, जिला–कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 734, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,00,005 टन प्रतिवर्ष है।

वर्तमान में माननीय एनजीटी, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. क्रमांक 142 / 2022 में पारित आदेश दिनांक 07 / 12 / 2022 द्वारा आदेशित किया गया है कि "mining lease in which environmental clearance was granted by DEIAA in view of amendment notification dated 15/01/2016 are still continuing even after passing of order dated 13/09/2018 by this Tribunal in Satendra Pandey (supra) and issuance of OM dated 12/12/2018 by MoEF&CC without any re-appraisal by SEIAA and appropriate remedial action on the basis of such re-appraisal. All such mining leases in which environmental clearance was granted by DEIAA need to be brought in consonance with the directions given by Hon'ble Supreme Court in Deepak Kumar (supra) and order dated 13/09/2018 by this Tribunal in Satendra Pandey (supra) by re-appraisal granted environmental clearance by SEIAA. MoEF&CC is, therefore, directed to take appropriate steps for compliance in this regard by issuance of requisite directions in exercise of the statutory powers under the Environment (Protection) Act, 1986".

उपरोक्त के पालनार्थ भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28 / 04 / 2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 अनुसार "The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06 / 07 / 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 474वीं बैठक दिनांक 13 / 07 / 2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री यशवंत सिन्हा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 734, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर, क्षमता– 1,00,005 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा दिनांक 07 / 03 / 2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति उत्खनिपट्टा अवधि तक

(विस्तारित अवधि तक) की अवधि हेतु जारी की गई। तत्पश्चात् जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला– उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा दिनांक 22/05/2018 को उत्खनन क्षमता–45,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,00,005 टन प्रतिवर्ष करते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं की गई है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/खनिज/ख.लि./उ.प./2023–24 कांकेर, दिनांक 16/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2018–19	34,587.60
2019–20	25,387.20
2020–21	35,948.80
2021–22	45,592.00
2022–23	28,864.00

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 के अनुक्रम में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन पृ. क्र. 433/एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22/05/2023 के द्वारा संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को डी.ई.आई.ए.ए. द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की नस्तियों को एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया गया है। डी.ई.आई.ए.ए. द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किये गये आवेदित खदान से संबंधित नस्ती इस कार्यालय में आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर–बस्तर–कांकेर को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किये गये आवेदित खदान से संबंधित नस्ती को इस कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाना आवश्यक है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत घोटियावाही का दिनांक 10/03/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 980/खनिज/2017–18 दंतेवाड़ा, दिनांक 16/02/2018 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 955/खनिज/ख.लि./उ.प. /2023–24 कांकेर, दिनांक 16/05/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 957/खनिज/ ख. लि./उ.प./2023–24 कांकेर, दिनांक 16/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री यशवंत सिन्हा के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 17/02/2011 से 16/02/2021 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 17/02/2021 से 16/02/2041 तक के लिए विस्तारित की गई।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./भू–प्रबंध/2010/3092 कांकेर, दिनांक 13/05/2010 द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार आवेदित क्षेत्र के समीप ऑरेंज एरिया घोटियावाही, खसरा क्रमांक 642 रकबा 13.49 हेक्टेयर 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। कार्यालय वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वन मण्डल, कांकेर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक आकाशीय दूरी सहित अनापत्ति प्रमाण पत्र वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–घोटियावाही 2.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–घोटियावाही 2.5 कि.मी. एवं अस्पताल –घोटियावाही 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 29 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.5 कि.मी. दूर है। महानदी 4 कि.मी. एवं दूधवा बांध 320 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि. मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 17,22,720 टन एवं माईनेबल रिजर्व 8,80,223 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 8,36,211 टन है। लीज की 7. 5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,774 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 5,690 घनमीटर थी। वर्तमान में लीज क्षेत्र के भीतर ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 9 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है

एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	99,735	षष्टम	99,990
द्वितीय	99,735	सप्तम	1,00,005
तृतीय	98,880	अष्टम	99,990
चतुर्थ	98,880	नवम	80,715
पंचम	1,00,005		

13. ओव्हर बर्डन की मात्रा 44,011.15 टन है, जिसमें से आवश्यकतानुसार ओव्हर बर्डन का उपयोग पहुँच मार्ग के रख–रखाव में किया जाएगा एवं शेष ओव्हर बर्डन को विक्रय किया जाएगा। समिति का मत है कि उक्त ओव्हर बर्डन को नियामानुसार खनिज विभाग एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से अनुमति उपरांत ही विक्रय किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 800 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 56,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,40,700 रूपये, खाद के लिए राशि 8,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रूपये, रख–रखाव आदि के लिए राशि 61,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 4,85,700 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 6,49,600 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नही किया गया है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
36	2%	0.72	Following activities at, Government Primary School at,	

			Village-Ghotiyawahi	
			Plantation	1.34
			Total	**1.34**

18. सी.ई.आर. के तहत् स्कूल परिसर में वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन, कदंब, पीपल आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 29,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 35,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 99,600 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
19. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
20. खदान में सुरक्षा के दृष्टि से कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टि से लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित क्षेत्र एवं पहुंच मार्ग के किनारे यथासंभव वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर–बस्तर–कांकेर को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किये गये आवेदित खदान से संबंधित नस्ती को इस कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

2. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् जानकारी एवं शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

3. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

4. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक आकाशीय दूरी सहित अनापत्ति प्रमाण पत्र डी.एफ.ओ., वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

5. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

6. खदान से जनित ओव्हर बर्डन को नियमानुसार खनिज विभाग एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से अनुमति प्राप्त किये जाने के पश्चात् विक्रय किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 474वीं बैठक दिनांक 13/07/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 12/09/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 512वीं बैठक दिनांक 12/02/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् जानकारी एवं शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर

प्रस्तुत प्राप्त किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर में आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।

3. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक आकाशीय दूरी सहित अनापत्ति प्रमाण पत्र डी.एफ.ओ., वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में प्रस्तुत कार्यालय वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./भू-प्रबंध/2010/3092 कांकेर, दिनांक 13/05/2010 द्वारा कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर को प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन में निम्न तथ्य का उल्लेख है:-

   - "आवेदित क्षेत्र आरक्षित/संरक्षित तथा सीमांकित वन के अंतर्गत स्थित नहीं है।
   - आवेदित क्षेत्र के समीप ऑरेंज एरिया घोटियावाही, खसरा क्रमांक 642 रकबा 13.49 हेक्टेयर 200 मीटर की दूरी पर स्थित है।
   - आवेदित क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के 30 नग वृक्ष है।

   उपरोक्तानुसार प्रस्तावित क्षेत्र में बहुमूल्य प्रजाति के अधिक वृक्ष स्थित है। अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम निर्णय 12.12.96 का किसी प्रकार से उल्लंघन न हो इसका विशेष देते हुये पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही हेतु अपने स्तर से निर्णय लेने का कष्ट करें।"

   उक्त के संबंध में समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक आकाशीय दूरी सहित अनापत्ति प्रमाण पत्र डी.एफ.ओ., वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. खदान से जनित ओव्हर बर्डन को नियमानुसार खनिज विभाग एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से अनुमति प्राप्त किये जाने के पश्चात् विक्रय किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक आकाशीय दूरी सहित अनापत्ति प्रमाण पत्र डी.एफ.ओ., वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

(स) समिति की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024:

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 को डॉ. बी.पी. नोन्हरे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05/07/2024 के माध्यम से एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. बी.पी. नोन्हरे को पद से मुक्त किया जाकर विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को अवगत कराया गया। तदोपरांत छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पत्र दिनांक 16/07/2024 के माध्यम से उक्त की सूचना सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर को दी गई। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 का कार्यवाही विवरण पद मुक्त करने की सूचना की अवधि तक अनुमोदन विचाराधीन था।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ई–मेल दिनांक 08/03/2025 के माध्यम से 591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025 को एस.ई.ए.सी.–3, छत्तीसगढ़ के समक्ष पुनः प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/04/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/05/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(द) समिति की 591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री यशवंत सिन्हा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/05/2024 को प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज के आधार पर समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व–प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1413, दिनांक 13/09/2023 द्वारा "Clarification Requested on Requirement of Certified Compliance Report (CCR) in Non-Coal Mining Proposals without Expansion." के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को मार्गदर्शन के लिए पत्र प्रेषित किया गया था, इस परिपेक्ष्य में मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। मार्गदर्शन प्राप्त होने पर तदानुसार कार्यवाही की जाएगी।

   साथ ही यह अनुशंसा भविष्य में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1413, दिनांक 13/09/2023 के परिपेक्ष्य में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु

परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन प्राप्त होने पर उसी अनुसार प्रभावित होगी।

2. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2023/8024 कांकेर, दिनांक 28/11/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में "आवेदित क्षेत्र के समीप ऑरेंज एरिया घोटियावाही, खसरा क्रमांक 642 में रकबा 13.49 हेक्टेयर 200 मीटर की दूरी पर स्थित है" का उल्लेख है।

   कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2024/783 कांकेर, दिनांक 05/02/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में "आवेदित क्षेत्र से वनक्षेत्र की आकाशीय दूरी (Air Distance) दूरी 390 मीटर है।" का उल्लेख है।

   अतः उपरोक्त प्रमाण पत्रों के भिन्नता के संबंध में स्पष्टीकरण कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से मंगाया जाना आवश्यक है। साथ ही कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से लीज सीमा से अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवविविधता क्षेत्र से वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये प्रमाण पत्र मंगाया जाना आवश्यक है।

3. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,774 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 8.5 मीटर क्षेत्र उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वॉरी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पाया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के उत्खनित क्षेत्र के पुनःभराव किये जाने बाबत् रेस्टोरेशन प्लान (Restoration Plan) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. समिति द्वारा के.एम.एल. अवलोकन करने पर पाया गया है कि लीज क्षेत्र सीमा के बाहर उत्खनन कार्य किया गया है। अतः इस संबंध में संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर उत्खनन किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर उत्खनन किया गया हो, तो कितना मात्रा उत्खनन (टन में) किया गया है, इस संबंध में जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2023/8024 कांकेर, दिनांक 28/11/2023 एवं ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2024/783 कांकेर, दिनांक 05/02/2024 द्वारा आवेदित क्षेत्र से वनक्षेत्र की आकाशीय दूरी की भिन्नता के संबंध में स्पष्टीकरण एवं लीज सीमा से अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवविविधता क्षेत्र से वास्तविक दूरी के संबंध में कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, कांकेर को पत्र लेख किया जाए।
2. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2023/8024 कांकेर, दिनांक 28/11/2023 एवं ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2024/783 कांकेर, दिनांक 05/02/2024 द्वारा आवेदित क्षेत्र से वनक्षेत्र की आकाशीय दूरी की भिन्नता के संबंध में स्पष्टीकरण कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, कांकेर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही लीज सीमा से

अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवविविधता क्षेत्र से वास्तविक दूरी के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

3. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के उत्खनित क्षेत्र के पुनःभराव किये जाने बाबत् रेस्टोरेशन प्लान (Restoration Plan) प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज क्षेत्र का ड्रोन विडियो (Drone video) प्रस्तुत किया जाए।
5. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी जल एवं वायु स्थापना/संचालन सम्मति की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुधावा डेम से माईन लीज की बाउण्ड्री की दूरी के संबंध में जल संसाधन विभाग से जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही खदान संचालन से बांध के संरक्षण से संबंध में जल संसाधन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. समिति द्वारा के.एम.एल. अवलोकन करने पर पाया गया है कि लीज क्षेत्र सीमा के बाहर उत्खनन कार्य किया गया है। अतः इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर उत्खनन किया गया है अथवा नही? के संबंध में जानकारी मंगाये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए। साथ ही यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर उत्खनन किया गया हो, तो कितना मात्रा उत्खनन (टन में) किया गया है, इस संबंध में भी जानकारी मंगाये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
8. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौडे सेफ्टी जोन के कुछ भाग मे किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
9. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौडी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

(स) समिति की 674वीं बैठक दिनांक 08/08/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2023/8024 कांकेर, दिनांक 28/11/2023 एवं ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2024/783 कांकेर, दिनांक 05/02/2024 द्वारा आवेदित क्षेत्र से वनक्षेत्र की आकाशीय दूरी की भिन्नता के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें "01. खदान क्षेत्र रकबा 02.00 हे. से वनक्षेत्र की दूरी 390 मीटर है। 02. वर्तमान में लीज क्षेत्र रकबा 02.00 हे. का पुनः जी.पी.एस. ट्रेक कर के.एम.एल. तैयार कर

जाँच कराया गया। जिसका Unitiltled Map में भी स्थिति स्पष्ट है कि खदान क्षेत्र से वनक्षेत्र की आकाशीय दूरी 390 मी. राष्ट्रीय उद्यान की दूरी 250.62 कि.मी. एवं सीतानदी अभ्यारण जैव विविधता की दूरी 17.00 कि.मी. है, जो सही है। जिसका मैप संलग्न है।" का उल्लेख है।

2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के उत्खनित क्षेत्र के पुनःभराव किये जाने बाबत् रेस्टोरेशन प्लान (Restoration Plan) प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार राशि रूपये 1,23,675/— खर्च किया जाना प्रस्तावित है।

3. लीज क्षेत्र का ड्रोन विडियो (Drone video) प्रस्तुत किया गया है।

4. क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर द्वारा दिनांक 07/01/2025 को साधारण पत्थर, क्षमता—1,00,005 टन प्रतिवर्ष हेतु जारी जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण जारी किया गया है।

5. कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग रूद्री, जिला—धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 2172/कार्य/2025 रूद्री, दिनांक 03/06/2025 के प्रतिवेदन अनुसार "उक्त माईनिंग लीज के बाउण्ड्री की दूरी दुधावा जलाशय से 5 कि.मी. और केचमेंट एरिया से 300 मी. की दूरी पर स्थित है। खदान संचालन से संरक्षण के दृष्टिगत बांध को किसी भी प्रकार से प्रभावित नही होगा। अतः खदान संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान की जाती है।" का उल्लेख है।

6. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—उत्तर बस्तर कांकेर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1512/खलि/न.क्र./उ.प./2025 कांकेर, दिनांक 08/07/2025 में "क्षेत्र का स्थल निरीक्षण कर उत्खनन योजना अनुसार अक्षांश—देशांतर का मिलान करते हुए पट्टा अंतर्गत उत्खनन क्षेत्रों की जांच की गई। जांच में स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के बाहर खनिज उत्खनन होना नहीं पाया गया है। अपितु उत्खनित खनिज की निकासी हेतु ओव्हर बर्डन से रैम्प निर्मित किया गया है, प्रश्नाधीन उत्खनिपट्टा वर्ष 2015 के पूर्व से स्वीकृत होकर संचालित है। 2015 के पूर्व गौण खनिज खदानों में उत्खनन योजना तथा उनसे संबंधित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के प्रावधान लागू नहीं होने से उपरी मिट्टी को हटाकर मेढ़ बनाया गया है।" का उल्लेख है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized affidavit) किया गया है कि प्रतिबंधित लीज क्षेत्र 7.5 मीटर चौडी पट्टी का कोई भाग उत्खनन हुआ या नहीं के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जगदलपुर द्वारा स्थल निरीक्षण कर जांच में जो भी कार्यावाही किया जाएगा, वह स्वीकर होगी।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized affidavit) किया गया है कि पर्यावरण संरक्षण के नियमों का मेरे द्वारा पूर्ण पालन किया जा रहा है।

9. एस.ई.ए.सी.—3, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 549, दिनांक 22/05/2025 को प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौडी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया गया था। जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।

10. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा आवेदित खदान को जारी 500 मीटर प्रमाण पत्र (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से अभिमत प्राप्त किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
2. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, कांकेर के अनापत्ति प्रमाण पत्र में वन क्षेत्र से 390 मीटर की दूरी पर होना बताया गया है। लीज एरिया से समीपस्थ वनक्षेत्र की मान्य दूरी का निर्धारण एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पत्र लेख किया जाए।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से 500 मीटर की अद्यतन प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए। अतः कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर को पत्र लेख करते हुये परियोजना प्रस्तावक को प्रतिलिपि दी जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत समिति द्वारा आगामी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

नाम एवं पदनाम	हस्ताक्षर
श्री जयसिंह म्हस्के, अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.–3 छत्तीसगढ़	
डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, एस.ई.ए.सी.–3 छत्तीसगढ़	
श्री रमाशंकर मिश्रा, सदस्य, एस.ई.ए.सी.–3 छत्तीसगढ़	
डॉ. अजय विक्रम अहिरवार, सदस्य, एस.ई.ए.सी.–3 छत्तीसगढ़	
श्री समीर स्वरूप, सदस्य, एस.ई.ए.सी.–3 छत्तीसगढ़	
सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.–3 छत्तीसगढ़	

मेसर्स बालेंगा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मोहन सिंह कश्यप) को खसरा क्रमांक 1142, 1139, 1141, 1140, 1128/1, 1138/1, 1138/2 एवं 1129, कुल लीज क्षेत्र 1.96 हेक्टेयर, ग्राम–बालेंगा, तहसील व जिला–बस्तर में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.96 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 50,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल, आक्षंश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. **लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी उत्खनित पाये जाने पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुये 06 माह के भीतर एस.ई.आई.ए.ए./एस.ई.ए.सी.–3 को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।**
5. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
6. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में अपूर्ण पालन किये गये शर्तो का कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।
7. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
9. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए।

दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

10. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

11. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

12. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनमेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए।

13. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

15. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

16. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।

17. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरूपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभराव के लिए किया जाए।

18. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावे ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

19. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

21. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

22. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
53	2%	1.06	Following activities at, **Village- Balenga**	
			Pavitra Van Nirman	13.742
			Total	**13.742**

23. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (पीपल, नीम, आम, बरगद आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 640 नग पौधों के लिए राशि 64,240 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 60,600 रूपये, खाद के लिए राशि 6,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रूपये, तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,20,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,70,840 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 10,03,456 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बालेंगा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1135, क्षेत्रफल 1.22 हेक्टेयर में से 0.40 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

24. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से

कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

25. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

26. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

27. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 175 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए। **उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं शेष 4 वर्षों तक रख–रखाव किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।**

28. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।

29. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

30. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जॉच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

33. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रकिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए। भू–जल स्तर को क्षति न पहुंचे, इसका समुचित ध्यान रखा जाए।

34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।

35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

36. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

37. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

38. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

41. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

42. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय

कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।

44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

45. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तो के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

48. छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.–3 | अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.–3